अध्याय 1 ⟶ प्रस्तावना

भारतीय रेल (आईआर) 129 अस्पतालों[1] और 588 स्वास्थ्य इकाईयों के माध्यम से करीब 64 लाख रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करती है जिसमें सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उन पर आश्रित सदस्य शामिल हैं। 2008-13 के दौरान, आईआर ने 11.67 करोड़ मरीजों को उपचार प्रदान किया। उसने मिशन कथन "***आधुनिक और लागत प्रभावी तकनीकों और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्कर्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये प्रत्येक डॉक्टर और परामेडिकल के मानवीय दृष्टिकोण और साझी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पूर्ण रोगी संतुष्टि***" अपनाया।

चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधायें तीन चरणों में प्रदान की जाती है - प्राथमिक[2], द्वितीयक[3] और तृतीयक[4]। जबकि स्वास्थ्य इकाईयां (एचयूज) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूरी करती है। उप-मण्डलीय/मण्डलीय, कार्यशाला अस्पताल और केन्द्रीय अस्पताल(सीएच) द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा पूर्ण करते हैं। एचयू 100 कि.मी. से अधिक विस्तारित लाभार्थी क्षेत्राधिकार में सभी मण्डलों में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्थित हैं। कुछ केन्द्रीय अस्पताल जैसे सीएच/पैरमबूर (द रे), सीएच/बाइकुला (म रे), सीएच/ मुंबई सेन्ट्रल (प.रे.) आदि में विशेष सुविधायें हैं जिसमें तृतीयक सेवा भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, रेलवे लाभार्थियों को उच्च द्वितीयक और तृतीयक सेवा के लिये सूचीबद्ध गैर-रेलवे अस्पतालों में भी भेजा जाता है।

आईआर की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जिम्मेदारियों में रेलों में या रेलवे स्टेशनों पर घायल या बहुत बीमार यात्री को शीघ्र राहत प्रदान करने के अलावा

---

[1] *17 केन्द्रीय अस्पताल, एक सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल, 55 मण्डलीय अस्पताल, 42 उप मण्डलीय अस्पताल, 9 कार्यशाला अस्पताल, 5 उत्पादन इकाई अस्पताल।*

[2] *प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का अर्थ है मरीजों को शीघ्र देखभाल प्रदान करने के लिये आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधायें।*

[3] *द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा का अर्थ है चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त सेवा जिसमें कम समय के लिये लेकिन गंभीर बीमारी, चोट या अन्य स्वास्थ्य परिस्थिति में कम अवधि के लिये शीघ्र आवश्यक उपचार शामिल है।*

[4] *तृतीयक सेवा का अर्थ है तीसरे चरण की स्वास्थ्य प्रणाली जिसमें साधारण या प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा सेवा से निर्दिष्ट करने पर विशेष परामर्शक सेवा प्रदान की जाती है।*

स्वच्छता, सफाई, सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेय जल और भोजन, अस्पताल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निपटान आदि शामिल है।

1.1 संगठन व्यवस्था

रेलवे बोर्ड स्तर पर, महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवा) रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) के तहत रेलवे स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख है। क्षेत्रीय रेलों (ज़ेडआरज़) में, मुख्य चिकित्सा निदेशक (सीएमडी) सभी मण्डलीय/उप-मण्डलीय अस्पताल और कार्यालयों से जुड़े अस्पतालों सहित एचयूज़ का प्रमुख होता है। यद्यपि, चिकित्सा उपकरणों की खरीद से संबंधित सभी प्रस्ताव क्षेत्रीय रेलों के मुख्य यांत्रिक अभियंता (सीएमई) के माध्यम से कराई जाती है। आईआर में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की संगठन व्यवस्था ***परिशिष्ट– I*** में दर्शायी गई है।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह देखने के लिये समीक्षा की गई कि:

I. क्या प्रभावी बजटीय नियंत्रण निधि के उपयोग और उचित आबंटन सुनिश्चित करने के लिये सही थे;

II. क्या श्रमबल का मूल्यांकन और नियुक्ति वास्तविक था और यह देखने के लिये भी कि क्या उपलब्ध श्रमबल प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा था;

III. क्या दवाईयों की खरीद, उसके भण्डारण, चिकित्सा उपकरणों और भौतिक सत्यापन में किफायत और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिये सही तंत्र है; और

IV. क्या मरीज देखभाल पर डेटा का रखरखाव, उपचार सुविधा और अपशिष्ट प्रबंधन सहित अस्पताल प्रशासन प्रभावी था।

समीक्षा में 2008-13 की अवधि के दौरान रेलवे लाभार्थियों को प्रदान किए गए चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

1.3 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

भारतीय रेलवे के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानदंड समय-समय पर संशोधित भारतीय रेलवे के मौजूदा कोड्स और मैनुअलस[5] में उपलब्ध प्रावधान से लिये गये थे। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिनियमों[6], नियमों, विनियमों में प्रस्तुत प्रावधानों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं सहित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी निर्देशों और बनाई गई नीतियों को भी ध्यान में रखा गया था।

1.4 कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा ने रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये 2008-13 के दौरान अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा उठाये गये कदमों और निष्पादन की जाँच की। लेखापरीक्षा ने अस्पताल प्रशासन में प्रभावकारिता के अतिरिक्त दवाइयों/उपकरणों की खरीद, आवश्यक श्रमबल की उपलब्धता और उनके मूल उपयोग की भी जाँच की।

निष्पादन लेखापरीक्षा महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवा) और आरबी के सलाहकार (वित्त) और क्षेत्रीय मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा निदेशकों और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारियों के साथ एंट्री कांफ्रेस (जुलाई 2013) के साथ प्रारंभ हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, अध्ययन का क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई। मसौदा समीक्षा रिपोर्ट मई 2014 में रेलवे बोर्ड को जारी की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की रेलवे बोर्ड में महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवा) और सलाहकार (वित्त) के साथ जुलाई 2014 में आयोजित एक्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। समान एग्जिट कांफ्रेंस क्षेत्रीय स्तरों पर भी मुख्य चिकित्सा निदेशकों और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारियों के साथ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर रेलवे बोर्ड का मत रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल किया गया है।

---

[5] ***भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल खण्ड*** – I ***और*** II

[6] ***वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, पीएफए 1954/खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियमावली 1998, ड्रग एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1945 और अपशिष्ट प्रबंधन और जैव चिकित्सा अपशिष्ट पर समय-समय पर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम द्वारा जारी निर्देश।***

सभी 17 क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाईयों के अभिलेखों की जाँच के साथ-साथ नीति बनाने में शामिल रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों एवं उनके कार्यान्वयन के लिये क्षेत्रों को जारी निर्देशों से संबंधित अभिलेखो की भी जाँच की गई।

सभी केन्द्रीय अस्पताल (17), वाराणसी में एक सुपर स्पेशियलिटि और उत्पादन इकाईयों से जुडे पांच अस्पतालों का विस्तृत अध्ययन के लिये चयन (100 प्रतिशत) किया गया था। इसके अतिरिक्त, 55 मण्डलीय अस्पतालों में से 22, 42 उप मण्डलीय अस्पतालों में से 19 और 9 कार्यशाला अस्पतालों में से 5 के प्रतिदर्श का चयन किया गया था। 588 प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों में से 89 का भी विस्तृत जाँच के लिये चयन किया गया था। प्रतिदर्श चयन दर्शाता विवरण और चयनित अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाईयों की सूची ***परिशिष्ट-II*** में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ स्वच्छता, चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव, दवाईयों के लिये भण्डारण सुविधा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान आदि के संबंध में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिये अस्पतालों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

1.5 अभिस्वीकृति

यह समीक्षा करने के लिये क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाईयों और रेलवे बोर्ड द्वारा भी दिये गये सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया जाता है।